दिनाक 25.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति–25/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मानननीय मुख्यमंत्री जी की के निर्देश पर ''मिशन शक्ति'' अभियान के अन्तर्गत गठित विशेष टीम ने महिला अपराध के विरुद्ध की बड़ी कार्यवाही, 23 महिलाओं/लड़कियों के साथ अश्लील एवं अभद्र काल एवं धमकी देकर प्रताड़ित करने वाला शातिर अपराधी जनपद–उन्नाव से हुआ गिरफ्तार।

माननीय मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के निर्देश पर चलाए जा रहे **''मिशन शक्ति''**अभियान के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के निर्देशन में **''मिशन शक्ति''** विशेष अभियान में ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा रही है, जो 1090 में दर्ज शिकायतों में कई बार काउन्सलिंग करने के बावजूद नहीं मानते एवं छेड़खानी करते हैं, पीड़िता को बार–बार मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों द्वारा एवं सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार परेशान, ब्लैकमेलिंग करते हैं।

वीमेन पावर लाइन द्वारा पूर्व मे भी इस प्रकार की कार्यवाही में 10 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जून 2020 से अब तक 284 शिकायतों का किया गया निस्तारणः–

वीमेन पावर लाइन–1090, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जून 2020 से अब तक इस प्रकार के शातिर अपराधियों के विरूद्ध एक के बाद एक कार्यवाही की गयी है जिसमें अभी तक 1090 में दर्ज **284 शिकायतों** के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत कराकर शिकायतों का निस्तारण पूर्ण रूप से किया जा चुका है।

इसी क्रम में उ0प्र0 सरकार द्वारा चलाए गए ''मिशन शक्ति'' अभियान के दृष्टिगत निरीक्षक शेर बहादुर मौर्य के नेतत्व में इस प्रकार की हरकत करने वाले शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु एक टीम गठित की गई तथा दिनांक 24.10.2020 को थाना–कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव की पुलिस को वीमेन पावर लाइन–1090 द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया, कि इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार रोहित सिंह उर्फ अरुण सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी–अकरमपुर, मगरवारा, थाना–कोतवाली सदर, जनपद–उन्नाव द्वारा कूटरचित फर्जी आईडी पर दूसरे के नाम का सिम क्रय कर प्रयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वह प्रदेश की विभिन्न महिलाओं/लड़कियों के साथ अभद्र एवं अश्लील काल कर व जान से मारने की धमकी देकर प्रताड़ित करता है। इस सम्बन्ध में 1090 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कुल 23 शिकायतें दर्ज हैं, जिस पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाय। वीमेन पावर लाइन–1090 द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ अरुण सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी–अकरमपुर, मगरवारा, थाना–कोतवाली सदर, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध दिनांक 24.10.2020 को थाना–कोतवाली, जनपद–उन्नाव में मु0अ0सं0–667/2020, धारा–294, 420, 468, 471, 506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी—

वीमेन पावर लाइन—1090 द्वारा इस सम्बन्ध में दर्ज शिकायतों में तकनीकी एवं गोपनीय जानकारी प्राप्त की गयी तथा निरीक्षक शेर बहादुर मौर्य, आरक्षी सत्यवीर सचान, आरक्षी विक्रम सिंह, आरक्षी रंजीत सिंह एवं आरक्षी सुरेन्द्र यादव व अतर सिंह को थाना— कोतवाली, जनपद—उन्नाव भेजा गया, जहां आज दिनांक 25.10.2020 को थाना—कोतवाली, उन्नाव की पुलिस तथा 1090 की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त **रोहित सिंह उर्फ अरुण सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी—अकरमपुर, मगरवारा, थाना—कोतवाली सदर, जनपद—उन्नाव उम्र करीब—23** वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ अरुण सिंह एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो मगरवारा उन्नाव में एक लेदर बैग बनाने वाली फैक्टरी में काम करता है तथा अविवाहित है, यह दो मोबाइल फोन का प्रयोग करता है, एक मोबाइल से वह अपने घर वालों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि से बात करता है तथा दूसरे मोबाइल फोन से सिर्फ महिलाओं को कॉल कर उनसे अश्लील एंव अभद्र बात कर छेड़खानी करता था, महिलाओं द्वारा उसके विरुद्ध शिकायत करने की बात कहने पर वह जान से मारने की धमकी भी देता था।

अभियुक्त को पकड़ने के लिये गिरफ्तार करने वाली टीम ने काफी मेहनत करने के बाद इसके काम करने वाली जगह को चिन्हित किया तथा कई घंटो तक टीम ने अलग—अलग भेष धारण कर रेकी की तथा अपराधी की सही पहचान स्थापित की, क्योंकि अपराधी जिस सिम का प्रयोग कर रहा था वह एक फर्जी आईडी पर खरीदा गया था।

बरामदगीः—

गिरफ्तारी के दौरान तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से अपराध में प्रयोग किया जा रहा **मोबाइल फोन मिला** तथा वह सिम भी बरामद हुआ जिससे वह महिलाओं के साथ अश्लील व अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बात करता था। अभियुक्त को अकरमपुर, उन्नाव से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

अपराध का तरीका—

अभियुक्त रोहित सिंह के विरूद्ध प्रदेश के विभिन्न जनपदों की महिलाओं एवं लड़कियों के साथ अपने फोन के माध्यम से अभद्र एवं अश्लील कार्य करने व धमकी देने की **23 शिकायतें** दर्ज हैं। जिसने कानपुर के एक व्यक्ति की फर्जी आईडी लगाकर, आईडी वाले के हस्ताक्षर स्वयं बनाकर एक सिम खरीदा था इसी सिम से वह महिलाओं को रैन्डमली काल कर दूसरी तरफ से महिला की आवाज आने पर उसे लगातार अभद्र एवं अश्लील काल करके परेशान करता था। उसके द्वारा इस सिम व मोबाईल फोन को केवल महिलाओं को अश्लील व अभद्र कॉल करने के लिए प्रायः रात्रि में ही प्रयोग में लाया जाता था। जिसके कारण शिकायत करने वाली महिलाओं में भय व्याप्त था। 1090 से काउन्सलिंग करने के बाद भी यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तथा लगातार महिलाओं/लड़कियों को काल कर परेशान करता रहा।

कई जनपदों की महिलाओं के साथ किये अपराध—

अभियुक्त के द्वारा प्रयोग किये जा रहे मोबाइल नम्बर के विरूद्ध 1090 में प्रदेश के **11 जनपदों** से **कुल 23 शिकायतें** दर्ज हैं जिसमें से **लखनऊ** से **07**, **कानपुर नगर** से **04**, **प्रयागराज** से **03**, **बाराबंकी** से **02** तथा **मऊ, उन्नाव, बहराइच, चन्दौली, जालौन, अम्बेडकरनगर** व **खीरी** से **1—1** शिकायतें हैं।

जनपद बागपत/थाना बडौत

- **25,000 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **25 हजार रू0 नगद बरामद**

दिनांक 24.10.2020 को थाना बडौत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बडौत क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अपराधी कमल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 25 हजार रू0 नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 854/2020 धारा 394/302 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कमल निवास शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2–25 हजार रू0 नगद।

जनपद मेरठ/थाना खरखौदा

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व लूट का 02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 25.10.2020 को थाना खरखौदा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान असराडा से खासपुर की तरफ गैस गोदाम के पास बदमाशों की घेराबंदी की

गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—आबिद 2—आयुष घायल हो गये, जिन्हे एक अन्य बदमाश 3—प्रदीप के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व लूट का 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, हत्या प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना खरखौदा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—आबिद नि0 समर गार्डन एच ब्लाक एक मिनारा मस्जिद के पास थाना लिसाड़ी गेट मेरठ।

2—आयुष निवासी कावली गेट थाना मवाना मेरठ।

3—प्रदीप निवासी कावली गेट थाना मवाना मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2—घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व लूट का 02 मोबाइल फोन आदि।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्वनगर/थाना बिसरख</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस**
- **लूट की 01 मोटरसाइकिल, 01 कार, 09 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 24.10.2020 की सायं थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बिसरख क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान

से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अंकित 2—शिवा 3—आकाश 4—संजू घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस, लूट की 01 मोटरसाइकिल, 01 कार व 09 मोबाइल फोन बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस संबंध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अंकित नि0 कुड़ीखेड़ा थाना बादलपुर गौतमबुद्वनगर।
2—शिवा नि0 खोदनाखुर्द थाना सूरजपुर गौतमबुद्वनगर।
3—आकाश नि0 कुड़ीखेड़ा थाना बादलपुर गौतमबुद्वनगर।
4—संजू नि0 आकलपुर थाना बादलपुर गौतमबुद्वनगर।

बरामदगी

1—04 अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस।
2—लूट की 01 मोटरसाइकिल, 01 कार व 09 मोबाइल फोन।

जनपद कौशाम्बी/थाना महेवाघाट

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **35 लाख रू0 कीमत का 01 कुंटल 70 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 25.10.2020 को थाना महेवाघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहपुर पॉवर हाउस के पास से 04 अभियुक्तों 1—शिवबोध उर्फ शिबू 2—सूरज 3—विजय 4—संजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 35 लाख रू0 कीमत का 01 कुंटल 70 किलोग्राम अवैध गांजा व 01 कार आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना महेवाघाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवबोध उर्फ शिबू नि0 बसुहार थाना सराय अकिल कौशाम्बी।
2—सूरज नि0 तिल्हापुर मोड़ पेरई थाना सराय अकिल कौशाम्बी।
3—विजय नि0 इचौली थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।
4—संजय नि0 इचौली थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी

1—35 लाख रू0 कीमत का 01 कुंटल 70 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—01 कार आदि।

जनपद मथुरा/थाना वृन्दावन

- **04 शातिर चोर गिरफतार**
- **10 लाख रू0 कीमत के चोरी के 12 पैकेट कार्टून**
- **01 कैन्टर**
- **कन्टेनर तोड़ने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 24.10.2020 को थाना वृन्दावन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गरूण गोविन्द मंदिर नगला कीकी के पास से चार अभियुक्तों 1—इमरान 2—शमीम 3—वजीव 4—वसीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 10 लाख रू0 कीमत के चोरी के 12 पैकेट कार्टून, 01 कैन्टर, कन्टेनर तोड़ने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना वृन्दावन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इमरान नि0 रनपाला खुर्द झाड़ा थाना उटवाई जिला पलवल हरियाणा।

2—शमीम नि0 मौहर का नगला थाना हसनपुर जिला पलवल हरियाणा।

3—वजीव नि0 ढाकपुरी थाना तिजारा जिला अलवर राजस्थान।

4—वसीम नि0 ग्राम अलीमेव थाना वहीन जिला पलवल हरियाणा।

बरामदगी

1—10 लाख रू0 कीमत के चोरी के 12 पैकेट कार्टून, 01 कैन्टर।

2—कन्टेनर तोड़ने के उपकरण/पुर्जे आदि।

————